(

पत्रांक–5 / न०वि० / जला०–09 / 2014 253

झारखंड सरकार

TSP

नगर विकास एवं विकास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक :

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

द्वारा:– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक– 09/02/18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु तृतीय किस्त के रूप में चक्रधरपुर नगर परिषद को 4,47,75,866/–रु० (चार करोड़ संतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छियासठ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय संकल्प संख्या–2408 दिनांक–03.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–2408 दिनांक–03.04.2017 द्वारा चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना, प्राक्कलित राशि 51,25,49,600/– रुपये पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना हेतु अब तक कुल 10,33,10,446/–रुपये चक्रधरपुर नगर परिषद को आवंटित की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत्यादेश/दिनांक	आवंटित राशि
1	2012–13	54/10.09.2012	5,00,00,000/–रु०
2	2016–17	393/25.03.2017	5,33,10,446/–रु०
		कुल–	**10,33,10,446/–रु०**

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में शहरी जलापूर्ति मद के TSP प्रक्षेत्र से तृतीय किस्त के रूप में चक्रधरपुर नगर परिषद को 4,47,75,866/–रु० (चार करोड़ संतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छियासठ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–48 के अधीन मुख्यशीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–उप मुख्यशीर्ष–01–जलापूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–01– पेयजलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)–विपत्र कोड–48S221501796010679 से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में चक्रधरपुर कोषागार से करते हुए आवश्यकतानुसार सर्वश्री जुडको लि० को हस्तांतरित की जाएगी।

5. योजना का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त DPR के अनुरूप किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में DPR में उल्लेखित प्रावधानों से योजना कार्यान्वयन में विचलन नहीं किया जाएगा।

6. उक्त योजना हेतु विगत वर्ष के पूर्व के वर्षों में चक्रधरपुर नगर परिषद को आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	आवंटित राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	चक्रधरपुर नगर परिषद	54/10-09-2012	5,00,00,000/- रु०	शून्य

Kaushalyesh Jaga WS

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–2408 दिनांक–03.04.2017 द्वारा उक्त योजना की नई योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त आवंटित 5,00,00,000/–रुपये का इस योजना में समायोजन का प्रावधान किया गया।

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10. चक्रधरपुर नगर परिषद को यह निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधित धाराओं के अन्तर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरान्त ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इसे संबंधित पुस्तको एवं पंजियों की जाँच–पड़ताल एवं अंकेक्षण का अधिकार होगा।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

8.2.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/जला०–09/2014 253 राँची, दिनांक–09/02/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक के आप्त सचिव, नगरीय प्रशासन निदेशालय/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमडल/परियोजना निदेशक (प्रशासन एवं तकनीकी), जुडको लि०, राँची/उपायुक्त, चाईबासा/कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, चक्रधरपुर कोषागार/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को स्वीकृत्यादेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.2.18
सरकार के प्रधान सचिव।